आपराधिक मामलों में बरी हुए व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियाँ

प्रिलिम्स के लिये:

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012, नैतिक अधमता, भारतीय दंड संहिता, 1860, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF),

मेन्स के लिये:

नैतिक अधमता और रोज़गार निर्णयों पर इसके प्रभाव से जुड़े मामलों में दोषमुक्ति पर विचार।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **पंजाब** और **हरियाणा** उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में कांस्टेबल के रूप में हरियाणा के एक व्यक्ति की नियुक्ति पर पुनर्विचार करे, क्योंकि उसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), **2012** के तहत वर्ष 2019 के मामले में बरी कर दिया गया था।

- **गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA) द्वारा जारी आदेश ने नैतिक अधमता के आधार पर व्यक्ति की नियुक्ति रद्द कर दी।**

नैतिक अधमता क्या है?

- **"नैतिक अधमता (moral turpitude)"** शब्द, जैसा कि **पी. मोहनसुंदरम बनाम राष्ट्रपति, 2013** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, में एक विशिष्ट परिभाषा का अभाव है।
- इसमें **न्याय**, **ईमानदारी**, **शील या अच्छी नैतिकता** के विपरीत कार्य शामिल हैं, जो ऐसे आचरण के आरोपी व्यक्ति के भ्रष्ट और दुष्ट चरित्र या स्वभाव का सुझाव देते हैं।

क्या है मामला?

- वर्ष 2022 में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कांस्टेबल को प्रवेशन यौन उत्पीड़न से संबंधित **POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत वर्ष** 2018 के आपराधिक मामले में बरी होने का खुलासा करने के बाद अपनी नियुक्ति रद्द करने का सामना करना पड़ा।
- इसके अलावा, उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की कई धाराओं के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा, जिनमें ज़हर, अपहरण और आपराधिक संबंधी धमकी से नुकसान पहुँचाने से संबंधित अपराध शामिल थे।
- वर्ष **2019 में कैथल कोर्ट (हरियाणा)** द्वारा सभी आरोपों से बरी किये जाने के बावजूद, उन्हें अपनी नियुक्ति रद्द करने का सामना करना पड़ा।
  - यह कार्रवाई **गृह मंत्रालय** द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में नियुक्तियों के लिये जारी एक नीति के अनुसार की गई थी, जो उन व्यक्तियों के लिये की गई थी जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वे परीक्षण के अधीन हैं या पूछताछ के अधीन हैं।
  - **आपराधिक मामले में गंभीर आरोपों या नैतिक अधमता का सामना करने वाले व्यक्तियों** को, भले ही बाद में संदेह के लाभ या गवाह को डराने-धमकाने के कारण बरी कर दिया गया हो, आम तौर पर **CAPF में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त** माना जाता है।

लोक सेवा में आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु न्यायालय ने क्या आदेश निर्धारित किये हैं?

- **अवतार सिंह बनाम भारत संघ, 2016** में सर्वोच्च न्यायालय की **तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक आपराधिक मामले में शामिल उम्मीदवार की नियुक्ति** पर विचार किया।
    - इसने निर्णय सुनाया कि किसी उम्मीदवार की सज़ा, दोषमुक्ति, गिरफ्तारी या लंबित आपराधिक मामले के बारे में नियोक्ता को दी गई जानकारी सच होनी चाहिये और बिना किसी दमन या गलत जानकारी के होनी चाहिये।
    - ऐसे **मामलों में दोषसिद्धि के लिये जो मामूली नहीं** हैं, नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है या उसकी सेवाएँ समाप्त कर सकता है।
- यदि कोई **बरी नैतिक अधमता या तकनीकी आधार पर गंभीर अपराध** से जुड़े मामले में हुआ है और यह स्पष्ट बरी नहीं है या उचित संदेह पर आधारित है, तो नियोक्ता व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी का आकलन कर सकता है तथा कर्मचारी की सेवा-निरंतरता के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय में **सतीश चंद्र यादव बनाम भारत संघ, 2023 मामला "आपराधिक मामले में बरी होने से उम्मीदवार स्वचालित रूप से पद पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा"** और यह अभी भी नियोक्ता के लिये उनके पूर्ववृत्त पर विचार करने तथा उम्मीदवार के रूप में उनकी उपयुक्तता की जाँच करने हेतु खुला रहेगा।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 क्या है?

- **परिचय:**
    - **POCSO अधिनियम 14 नवंबर, 2012** को लागू हुआ, जो **वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन** के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।
    - इस विशिष्ट कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन शोषण के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया था या पर्याप्त रूप से दंडित नहीं किया गया था।
    - अधिनियम **18 वर्ष** से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा का प्रावधान करता है।
        - अपराधियों को रोकने और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से, बच्चों पर यौन अपराध करने के लिये **मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सज़ा का प्रावधान** करने हेतु वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा संशोधन किया गया।
        - भारत सरकार ने **POCSO नियम, 2020** को भी अधिसूचित कर दिया है।
- **विशेषताएँ:**
    - **लिंग-निष्पक्ष प्रकृति:**
        - अधिनियम के अनुसार **लड़के तथा लड़कियाँ** दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और पीड़ित के लिंग की परवाह किये बिना ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है।
            - यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधिकार है तथा लिंग के आधार पर कानूनों को भेदभाव नहीं करना चाहिये।
    - **मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी:**
        - न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थान भी अब नाबालिगों के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिये पर्याप्त रूप से जागरूक हैं क्योंकि **रिपोर्ट न करना POCSO अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध** बना दिया गया है। इससे बच्चों से संबंधित यौन अपराधों को छिपाना तुलनात्मक रूप से कठिन हो गया है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBPF) क्या है?

- **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (Indo-Tibetan Border Police Force- ITBPF) भारत सरकार के गृह मंत्रालय** के अधीन कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force) है।
    - ITBP की स्थापना **24 अक्टूबर 1962** को भारत-चीन युद्ध के दौरान की गई थी तथा यह एक सीमा सुरक्षा पुलिस बल है जो उच्च तुंगता वाले अभियानों में विशेषज्ञता रखता है।
    - वर्तमान में ITBP लद्दाख में **काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक** 3,488 किमी. लंबी भारत-चीन सीमा की सुरक्षा के लिये तैनात है।
    - बल को नक्सल विरोधी अभियानों तथा अन्य आंतरिक सुरक्षा कर्त्तव्यों के लिये भी तैनात किया गया है।